(535)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 9(1) नविवि/3/95

दिनांक: 14.7.2003

आदेश

विषय— शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय/व्यावसायिक निर्माणों के नियमन के संबंध में।

मंत्रीमण्डलीय आज्ञा संख्या 43/2003 दिनांक 6–7 जून, 2003 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यांक आदेश क्रमांक 9(1) नविवि/3/95 दिनांक 20.6.2003 के द्वारा कच्ची बस्ती नियमन संबंधी आदेश जारी किये गये थे। इस आदेश के पैरा 4 में नियमन योग्य कच्ची बस्तियों में जो परिवार नियमन की पात्रता नहीं रखते हैं एवं जिन कच्ची बस्तियों को नियमन योग्य नहीं माना गया है उनमें 15 अगस्त, 1998 से पूर्व निवास करने वाले सभी कब्जेधारियों को निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण–पत्र संबंधित नगरीय निकाय के उपायुक्त/सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी किये जाने का उल्लेख भी किया गया था। पैरा 4 में अंकित प्रमाण–पत्र को संशोधित किया जा रहा है। अतः उसमें फिलहाल कोई प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जावे। नया प्रारूप शीघ्र भेजा जा रहा है।

ह0/– (एस.ए. फारूकी)
उप शासन सचिव

(५१'ई')
(70)